

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 10
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2005
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- रजंती एक्का
पिता/पति का नाम :- आ. श्री चन्दू एक्का
आवेदक का पता :- ग्राम व पोस्ट सुखरापारा तहसील पत्थलगांव,
जिला जशपुर छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 30
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2018
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- बबीता उरांव
पिता/पति का नाम :- आ. श्री नानदाउ उरांव
आवेदक का पता :- टीवी टॉवर रोड, पंडित दीनदयाल कॉलोनी के पास रायगढ़ छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 33
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2020
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- सविता भंडारी
पिता/पति का नाम :- आ. श्री सुपाल सिंह भंडारी
आवेदक का पता :- ई.डब्ल्यू.एस.-110 के सामने पद्मनाभपुर दुर्ग
छ0ग0
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 38
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2024
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- भूपेन्द्र कुमार उईके
पिता/पति का नाम :- आ. श्री चंदन सिंह उईके
आवेदक का पता :- गली नं. 5, राव काटेज के पास, तुलसी राम साहू मकान के उपर कसारीडीह दुर्ग छ0ग0 491001
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 47
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2028
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- चंदन
पिता/पति का नाम :- आ. श्री केशव दीवान
आवेदक का पता :- म.नं. 678, वार्ड 26, विधानसभा रोड बजरंग पारा
सड़क, रायपुर छ0ग0 492014
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर—हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा—2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :-	48
परीक्षार्थी का रोल नंबर :-	2029
आवेदित पद का नाम :-	स्टेनोग्राफर हिन्दी
अभ्यर्थी का नाम :-	कु0 किरण कुर्
पिता/पति का नाम :-	आ. श्री सहसराम कुर्
आवेदक का पता :-	वार्ड नं. 02 इंदिरा कालोनी कसडोल (दरबार के पास) पो. कसडोल, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ0ग0
वर्ग :-	अ.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	
परीक्षा तिथि :-	26/11/2017
समय :-	प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :-	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) —496001

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 51
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2030
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- कमल नारायण देवांगन
पिता/पति का नाम :- आ. स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार देवांगन
आवेदक का पता :- सरोजनी नायडू पथ, गोड़पारा, वार्ड क्रं. 6 दुर्ग
छ0ग0 491001
वर्ग :- अ.पि.व.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कौट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 75
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2045
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- चन्देश कुमार गोस्वामी
पिता/पति का नाम :- आ. श्री धर्मन्द्र
आवेदक का पता :- ग्राम घुमा, पो. घोटवानी, तहसील धमधा, जिला दुर्ग छ0ग0 491331
वर्ग :- अ.पि.व.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, झईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 95
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2057
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- योगेश्वर
पिता/पति का नाम :- श्री संतराम गिलहरे
आवेदक का पता :- ग्राम व पो. आ. कठिया, नं.-2, वि.ख. अमनपुर,
जिला रायपुर छ0ग0 493661
वर्ग :- अ.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, झईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :-	110	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।</div>
परीक्षार्थी का रोल नंबर :-	2066	
आवेदित पद का नाम :-	स्टेनोग्राफर हिन्दी	
अभ्यर्थी का नाम :-	नम्रता चन्देल	
पिता/पति का नाम :-	आ. विनोद सिंह चन्देल	
आवेदक का पता :-	ई-428, कैलाश विहार एच.टी.पी.पी. कॉलोनी, दर्रा, जेलगांव, पोस्ट-जमनीपाली, जिला कोरबा, पिन 495450	
वर्ग :-	अ.ज.जा.	
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)		
परीक्षा तिथि :-	26/11/2017	
समय :-	प्रातः 10.00 बजे से	
परीक्षा केन्द्र :-	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001	



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 111
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2067
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- रजनी ध्रुव
पिता/पति का नाम :- आ. श्री पोदू ध्रुव
आवेदक का पता :- पोस्ट मैट्रिक, परियोजना कन्या छात्रावास के पीछे, म.नं. एच-2, शंकरनगर, रायपुर - 492007
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, झईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 126
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2076
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- केकती डहरे
पिता/पति का नाम :- पति श्री व्यासनारायण डहरे
आवेदक का पता :- ग्राम बोरवाय, पो.आ. जामगांव आर, तह. पाटन,
जिला दुर्ग, छ.ग.

वर्ग :- अ.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर—हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा—2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 153
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2089
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- रुद्रनाथ
पिता/पति का नाम :- आ. श्री भोलानाथ
आवेदक का पता :- 34/3ई रिसाली सेक्टर,भिलाई नगर, दुर्ग, छ.ग.
490006
वर्ग :- अ.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) —496001**

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनई पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, झईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 182
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2101
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- सुषमा भगत
पिता/पति का नाम :- पति श्री ललित राम भगत
आवेदक का पता :- क्वा.नं. एन.एफ.01, पॉलिटेक्निक कालोनी, चक्रधर नगर, रायगढ़, छ.ग.
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 185
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2103
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- प्रियंका धुव
पिता/पति का नाम :- आ. श्री हीरामन धुव
आवेदक का पता :- मिश्रा भवन, जल गृह मार्ग, शहीद भगत सिंह चौक, टिकरापारा, रायपुर, छ.ग.
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :-	186
परीक्षार्थी का रोल नंबर :-	2104
आवेदित पद का नाम :-	स्टेनोग्राफर हिन्दी
अभ्यर्थी का नाम :-	कु.ममता बाई
पिता/पति का नाम :-	आ. श्री रामसाय राम
आवेदक का पता :-	पंचवटी महिला वसति गृह, कलेक्टोरेट के पीछे, ई.ए.सी, कॉलोनी, जिला पंचायत आफिस के बगल से रायपुर, छ.ग.
वर्ग :-	अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)	
परीक्षा तिथि :-	26/11/2017
समय :-	प्रातः 10.00 बजे से
परीक्षा केन्द्र :-	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 190
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2107
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- अंकिता धुव
पिता/पति का नाम :- आ. श्री एस.आर.धुव
आवेदक का पता :- प्लॉट नं. 457/104, स्ट्रीट नं 21/बी, आशीष नगर, पं. रिसाली, भिलाई, दुर्ग, छ.ग.
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 224
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2121
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- अर्चना गावड़े
पिता/पति का नाम :- आ. श्री मोती राम
आवेदक का पता :- शहीद चौक केम्प नं. 01, दल्ली राजहरा जिला बालोद
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 226
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2122
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- लालजीत बेक
पिता/पति का नाम :- आ. श्री फूलचंद बेक
आवेदक का पता :- व्यवहार न्यायालय वर्ग 2, धरमजयगढ़, छ.ग.

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।

वर्ग :- अ.ज.जा.

(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)

परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**

समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**

परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 227
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2123
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- नीरज चोखान्दे
पिता/पति का नाम :- आ. स्व. श्री भोजराज चोखान्दे
आवेदक का पता :- पुराना राजेन्द्र जनता कालोनी क्वा.नं. 59, रायपुर,
छ.ग.
वर्ग :- अ.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के
सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित
अनुसार फोटो चस्पा
करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 245
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2132
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- भुवनेश्वर प्रसाद
पिता/पति का नाम :- आ. श्री संतोष कुमार
आवेदक का पता :- चंद्रशेखर आजाद नगर, देवरीखुर्द, बिलासपुर, छ. ग.

वर्ग :- अ.पि.व.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 255
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2140
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- नंद लाल
पिता/पति का नाम :- आ. श्री शीतल सिंह
आवेदक का पता :- मु. ठरकपुर, पो. पटियापाली, तह. करतला, व्हाया चांपा, जिला कोरबा, छ.ग. 495671
वर्ग :- अ.ज.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 260
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2141
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- सुमन जांगड़े
पिता/पति का नाम :- आ.श्री शंकरलाल जांगड़े
आवेदक का पता :- संचालनालय आदिमजावित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्टर 4, रायपुर, छ.ग. 492010
वर्ग :- अ.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी के पद हेतु कौशल परीक्षा-2017)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :- 263
परीक्षार्थी का रोल नंबर :- 2142
आवेदित पद का नाम :- **स्टेनोग्राफर हिन्दी**
अभ्यर्थी का नाम :- श्रीमती ज्योति बघेल
पिता/पति का नाम :- पति श्री जय कुमार बघेल
आवेदक का पता :- गांव गोल्हापारा, वार्ड क्रमांक 14, थाना व चौकी चिल्फी, पो. आफिस चिल्फी, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली, छ.ग. 495115
वर्ग :- अ.जा.
(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिव.)
परीक्षा तिथि :- **26/11/2017**
समय :- **प्रातः 10.00 बजे से**
परीक्षा केन्द्र :- **शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमला नेहरू उद्यान के सामने, चक्रधर नगर रायगढ़ (छ.ग.) -496001**

आवेदन में दर्शित अनुसार फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़



परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल नीले पेन का ही उपयोग करें, केवल सही उत्तर पर ही चिन्ह लगाये काटछाँट व एक से अधिक पर चिन्ह लगाने की स्थिति में उत्तर गलत माना जावेगा।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्व्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कुछ भी लिखने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
8. परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
9. परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बात करना, इशारे करना अन्य परीक्षार्थी के कम्प्यूटर में ताक झाक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अमर्द व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
10. केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
11. अभ्यर्थी अपने साथ अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लाये, अन्यथा परीक्षा से वंचित किया जावेगा।